



आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 137242/
15832

स्कूल: Krishana Public School

प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

कार्यालय जिता शिक्षा अधिकारी (सीधी), मध्यप्रदेश

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता

सत्र - 2022-23

मान्यता दिनांक - 26/05/2022

प्रति,

प्रबंधक (Krishana Public School)

विषय :

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

मापके आवेदन पत्र दिनांक 04/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यावहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - Krishana Public School डाइस कोड - 23170600608 स्कूल क्रमांक - PS 15832 को कक्षा प्री प्राइमरी-केजी-1 से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की रीमा के विचित समूह तथा कम्पोज़ेर तर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशां में, स्कूल यदि राहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात से निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के छंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में डिविट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस के संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा।
 - (क) मायु के सबूत के आभास में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात्यात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्कता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि अर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के पारंभाने पर न्यूनतम आहता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहता प्राप्त करनी होगी
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनीरटेट करतेर्थों का पालन करना होगा
 - प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं आग नहीं लेने/लेनी
- स्कूल समुचित प्रारंभिक द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम कि धारा 19 में विहित कि अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बद्धों का नामांकन किया जाएगा।
- स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनीरट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध रुक्तिधारे निरन्तरानुसार पाई गई।

स्कूल	डाइस कोड	शैक्षणि जिला क्रम	क्षेत्र का प्रकार	विकास ग्रामीण	ग्राम / वार्ड खण्ड(ब्लॉक)	पिन कोड	पुलिस थाना	रेखांश अक्षांश
Krishana Public School	231706 00608	17 सीधी	ग्रामीण	SIDHI	Naudhiya	486661	थाना कोतवाली	24.42 1295 8431 81.873 1

स्कूल की सामान्य जानकारी

स्कूल प्रारंभ होने की तिथि 15/06/2011

क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है? नहीं

सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम

सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक

स्वामी का नाम Anamika Singh

स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम SARVJEET SINGH

पदनाम CHAIRMAN

मोबाइल 9753814515

ई-मेल kpssidhi@gmail.com

कार्यालय का पता SHIVAJI NAGAR SIDHI

कार्यालय का दूरभाष 9753814515

स्कूल की प्रकृति

शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी

मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार महाशिशा

क्या स्कूल आवारीय है? नहीं

क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित है? नहीं

क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? नहीं

प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा प्री प्राइमरी-केजी-1

प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 3

स्कूल की अंतिम कक्षा आठवीं

क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है? नहीं

क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है? हाँ

प्राधिकारी का नाम DEO SIDHI

मान्यता क्रमांक 17105102

डाइस कोड(DISE)

क्या स्कूल राज्य सरकार/ केंद्र सरकार / स्थानीय प्राधिकारी से नहीं

निःशुल्क अथवा रिआयती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण

थवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संख्या में बलकों

को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य है?

स्कूल का क्षेत्रफल

विवरण

ल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)		आवेदन में दर्ज
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	31000	
स्कूल के भवन की स्थिति	37000	
स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	5000	किराए का भवन

अधोसंरचना का विवरण

विवरण

कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा	संख्या	ओसत आकार(वर्ग फीट में)
कार्यालय कक्षा-सह-भण्डार कक्ष-सार-प्रधानाध्यापक कक्ष	11	350
मोजनालय-सह-भण्डार	1	350
	0	0

पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम का विवरण

विवरण

प्रत्येक वर्ग में पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम का विवरण (आठवीं तक)	बोर्ड
छात्र मूल्यांकन की प्रणाली	CBSE
कक्षा आठवीं तक विद्यार्थी किसी ब्रोड परीक्षा में बैठ रहे हैं? (हाँ/नहीं)	नहीं

स्कूल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण

विवरण

विवरण	आवेदन में दर्ज	फोटो
क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहता है	हाँ	
पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
खेलकूट एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित रूची	हाँ	
उस्तकों की संख्या	80	
प्रतिकाएं/समाचार पत्र	2	
प्रयोजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	
प्रयोजल सुविधा की संख्या	2	
शौचालय का प्रकार (भारतीय/परिचमी/नहीं)	Indian	
डिकों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	4	
डिकियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	4	
वैकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	0	
या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है	हाँ	

नामांकन एवं शुल्क का विवरण

कक्षा

कुल सीट

कुल नामांकित छात्र

स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें

वार्षिक शुल्क

विद्यालय के प्राचार्य अथवा टूर्स ट/सोसायटी के अध्यक्ष/प्रबन्धक का प्रमाणीकरण

लिखरण

हाँ / नहाँ

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संधारित वेबसाइट पर उपरोक्त वर्णित जानकारी भी दर्ज करा दी है।

प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के हीलिए स्कूल खुला रहेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अधेशित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर टिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूति की निरंतरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का बहुन देता है।

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल व्यारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा हाँ अधिकारी व्यारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या रामुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संसद या राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के नियंत्रण के लिए केन्द्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रषासन को समस्त ऐसी जानकारियां, जो कि आवश्यक हौं, प्रस्तुत करेगा।

विद्यालय, सक्षम प्राधिकारी व्यारा निर्धारित अधिकथित मान्यता की शर्तों का पालन करेगा।

मान्यता संबंधी दस्तावेज़

३४८

अपलोड है (हाँ / नहीं)

स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी

८५

अध्यापन कर्त्तव्यों का विवरण

शिक्षक का नाम पिता / पति का जन्मतिथि शैक्षणिक अर्हता व्यावसायिक अध्यापन नियुक्ति कक्षा जिसमें
नाम विषय सहित अर्हता अनुभव(महीनों में) दिनांक पढ़ाते हैं

अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पहले से ही

३४८ / तार्ह

पर्याप्त रूप से

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा घाटेड अकाउंट द्वारा स्त्यपित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरण में एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
 - आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर 15832 एवं डाइसकोड (DISE) 23170600608 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर संदर्भित किए जाएँ।
 - ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत कि जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय -समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तों कि निरन्तर पूर्ण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाए।
 - सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, को पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
 - अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "लीना" के अनुसार होंगी।
 - अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने तथा शिक्ष्य हों जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

~~जिला प्रशासन अधिकारी~~
जिला-प्रशासन (ग.प.)